बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

एस०ओ०सं०–02/रेगु०–02–800–18/2020– 213/cc/पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

मेसर्स मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, पश्चिम चम्पारण द्वारा पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 के लिए पूर्व में अपरम्परागत रूप से आरक्षित पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत 110 ग्रामों को यथावत रखने के प्रस्ताव पर सुनवाई के पश्चात् ईखायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक–30.09.2026 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की प्रति **अनुलग्नक–1** पर है।

उपरोक्त के आलोक में बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा–31(1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

मेसर्स मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, पश्चिम चम्पारण द्वारा प्रस्तावित आरक्षण प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत स्पष्ट होता है कि संग्रामपुर के आरक्षित क्षेत्र दो भागों में बंटा है। पूर्वी भाग, सिधवलिया एवं पश्चिमी भाग, मझौलिया को आवंटित है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जबकि संग्रामपुर प्रखण्ड के शेष सभी ग्राम सिधवलिया चीनी मिल को आवंटित है। अतएव, पूर्व से आरक्षित 110 ग्रामों में से संग्रामपुर प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम– संग्रामपुर (पश्चिमी भाग), थाना सं०–172 को सिधवलिया चीनी मिल, गोपालगंज के साथ एवं शेष 109 ग्रामों (संलग्न सूची–क) को मेसर्स मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, मझौलिया, पश्चिम चम्पारण को पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 तक (तीन वर्षों) के लिए अपरम्परागत रूप से आरक्षित किया जाता है। यदि मझौलिया चीनी मिल द्वारा संग्रामपुर (पश्चिमी भाग) ग्राम में गन्ना विकास हेतु किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया है तो उसकी वसुली में सिधवलिया चीनी मिल सहयोग करेंगे।

उक्त के अनुसार पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/9/2026

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–18/2020– 213/cc /पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि :– प्रभारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

30/9/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–18/2020– 213/cc /पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक, मेसर्स मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, पश्चिम चम्पारण/राज्य की सभी चीनी मिलों/सचिव, सुगर मिल्स एसोसिएशन/समाहर्त्ता, पू० चम्पारण/ईख पदाधिकारी, मोतिहारी/ईख पदाधिकारी (सभी)/सहायक ईखायुक्त, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–18/2020– 213/cc /पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि–सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त (मु०), गन्ना उद्योग विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–800–18/2020– 213/cc /पटना, दिनांक– 30 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

Adhisuchana

आदेश–पत्रक

ईखायुक्त, बिहार, गन्ना उद्योग विभाग के समक्ष सुनवाई से संबंधित।

आदेश का संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3
30.09.2026	मेसर्स मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, पश्चिम चम्पारण द्वारा पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 के लिए पूर्व में अपरम्परागत रूप से आरक्षित पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत 110 ग्रामों को यथावत रखने के प्रस्ताव के आवेदन दिनांक–24.08.2026 पर सुनवाई किया गया। **उपस्थिति** :– मेसर्स मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, पश्चिम चम्पारण के प्रतिनिधि श्री उदयवीर सिंह, मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्यूल्स लि०, इकाई–सुगौली, पूर्वी चम्पारण के प्रतिनिधि श्री रमेश शुक्ला, सिधवलिया चीनी मिल के प्रतिनिधि श्री बी. सी. त्यागी, मेसर्स विष्णु चीनी मिल के प्रतिनिधि श्री पी. आर. एस. पाणिकर, श्री वेदव्रत कुमार, संयुक्त ईखायुक्त, श्री रेमन्त झा, संयुक्त निदेशक एवं श्री श्रीराम सिंह, ईख पदाधिकारी, मोतिहारी सुनवाई में उपस्थित हैं। मेसर्स मझौलिया चीनी मिल के प्रस्ताव पर सभी संबंधित चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारी, विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित के समक्ष दिनांक–23.07.2026 एवं 10.09.2026 को भी सुनवाई की गयी। मेसर्स मझौलिया चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत 110 ग्राम अपरम्परागत रूप से आरक्षित थे। आगामी पेराई सत्र 2026–27 हेतु चीनी मिल अपनी गन्ना पेराई क्षमता का विस्तारितकरण 6500 टी.सी.डी. से 8000 टी.सी.डी. करने की कार्य योजना है। चीनी मिल का पेराई सत्र 2026–27 के लिए एन.सी.आर. 77 लाख निर्धारित है। संबंद्ध ग्रामों में चीनी मिल द्वारा सघन गन्ना विकास कार्यक्रम विगत कई वर्षों से कराया जा रहा है, जिसके तहत् मिल परिक्षेत्र में गन्ना विकास/विपणन कार्य हेतु चार जगह क्षेत्रीय गन्ना विकास कार्यालय भी स्थापित कर संचालित किया जा रहा है। कृषकों को उन्नतशील गन्ना प्रभेद एवं जैविक खाद उपलब्ध कराये गये है। चीनी मिल के पेराई हेतु न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूर्व से अपराम्परागत से आरक्षित होते आ रहे 110 ग्रामों को आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई के क्रम में सिधवलिया चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत संग्रामपुर (172) के पश्चिम भाग को मझौलिया चीनी मिल के साथ जबकि पूर्वी भाग को सिधवलिया चीनी मिल के साथ अपरम्परागत रूप से आरक्षित है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि संग्रामपुर से सिधवलिया चीनी मिल की दूरी 30 कि.मी. है। जबकि मझौलिया चीनी मिल से उक्त ग्राम की दूरी 40–45 कि.मी. है। मझौलिया चीनी मिल के	

ईखायुक्त
बिहार, पटना।

30.09.2026	प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि संग्रामपुर ग्राम में गन्ना विकास के साथ–साथ वहाँ के किसानों को ऋण भी दिया गया है। इस संबंध में मझौलिया चीनी मिल द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। विभागीय पत्रांक–1845 दिनांक–21.09.2026 द्वारा ईख पदाधिकारी, मोतिहारी को मझौलिया चीनी मिल द्वारा दिये गये आरक्षण के प्रस्ताव पर मंतव्य उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिस क्रम में ईख पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा अपने पत्रांक–433 दिनांक–26.09.2026 के माध्यम से अपना मंतव्य विभाग को समर्पित किया गया जिसमें प्रखण्ड–संग्रामपुर, ग्राम–पूर्वी एवं पश्चिमी को सिधवलिया चीनी मिल से निकटता एवं प्रखण्ड संग्रामपुर के शेष सभी ग्राम पूर्व से सिधवलिया चीनी मिल को आरक्षित रहने के आलोक में कृषक हित में संपूर्ण ग्राम संग्रामपुर को सिधवलिया चीनी मिल को पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 तक अपरम्परागत रूप से आरक्षित करने हेतु अनुशंसा की गयी है। अत्एव सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परिशीलन एवं क्षेत्र आरक्षण के उपयुक्त तथ्य के दृष्टिगत बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा–31(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है :– **आदेश :– मेसर्स मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, पश्चिम चम्पारण द्वारा प्रस्तावित आरक्षण प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत स्पष्ट होता है कि संग्रामपुर के आरक्षित क्षेत्र दो भागों में बंटा है। पूर्वी भाग, सिधवलिया एवं पश्चिमी भाग, मझौलिया को आवंटित है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जबकि संग्रामपुर प्रखण्ड के शेष सभी ग्राम सिधवलिया चीनी मिल को आवंटित है। अतएव, पूर्व से आरक्षित 110 ग्रामों में से संग्रामपुर प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम– संग्रामपुर (पश्चिमी भाग), थाना सं०–172 को सिधवलिया चीनी मिल, गोपालगंज के साथ एवं शेष 109 ग्रामों (संलग्न सूची–क) को मेसर्स मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, मझौलिया, पश्चिम चम्पारण को पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 तक (तीन वर्षों) के लिए अपरम्परागत रूप से आरक्षित किया जाता है। यदि मझौलिया चीनी मिल द्वारा संग्रामपुर (पश्चिमी भाग) ग्राम में गन्ना विकास हेतु किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया है तो उसकी वसुली में सिधवलिया चीनी मिल सहयोग करेंगे।** **उक्त के अनुसार पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है।** **लेखापित एवं शुद्धित।** **ईखायुक्त, बिहार।**	

मझौलिया सुगर इन्डस्ट्रीज, इकाई–मझौलिया को पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 तक अपरम्परागत रूप से आरक्षित 109 ग्रामों की सूची।

अनुसूचि–"क"

जिला का नाम	प्रखंड	ग्राम का क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना नं०
पूर्वी चम्पारण	अरेराज	1	चटिया (उत्तरी भाग)	28
		2	ममरखा (टोला भैया)	29
		3	ममरखा	30
		4	गुजरवलिया	31
		5	खजूरिया	60
		6	कमलुआ	61
		7	दामोदरपुर	62
		8	सिसवा	63
		9	होरिल छपरा	64
		10	पुरन्दरपुर	65
		11	सिरनी	66
		12	वेलही	67
		13	नगदाहा	68
		14	मिश्रोलिया	69
		15	बथना	70
		16	लोकनाथपुर	71
		17	टोलावन पाण्डेय	72
		18	सखवॉ	73
		19	सरैया	74
		20	चैनपुर	75
		21	पिपरा	76
		22	टिकुलिया	77
		23	परसा	78
		24	वभनौली	79
		25	रामपुर छपकहियॉ	80
		26	कौआहा	81
		27	मंगूराहा	82
		28	रढ़िया	83
		29	राजेपुर	86
		30	मिश्ररौलिया	87
		31	हरदिया	88
		32	लौरिया	89
		33	झखरा	90
		34	सलहॉ	91

ईख आयुक्त
बिहार, पटना

		35	कोहवरवा	92
		36	गुरहॉ	93
पूर्वी चम्पारण		37	इन्दुटोला	94
		38	भेलानारी	95
		39	जितवारपुर	96
		40	मोहम्मदपुर	97
		41	खजूरिया	141
		42	बहादुरपुर	101
		43	जनरेवा	103
	संग्रामपुर	44	नवादा, गोविन्दगंज (पश्चिमी भाग)	98
	पहाड़पुर	45	एराजी टिकुलिया	44
		46	टिकुलिया	45
		47	पहाड़पुर	36
		48	लखनीपुर	35
		49	गोवर्धनपुर	58
		50	गंगा पीपरा	57
		51	नीरपुर	84
		52	खैरवा	43
		53	कोटवा	59
		54	वरकुरवा	34
		55	सोनवल अहिरौलिया	37
		56	इंगलिश	38
		57	वनकटवा	85
		58	अमवा निजामत	41
		59	अमवा	40
		60	परसौनी	42
		61	कमाल पीपरा	50
		62	भाजा छपरा	47
		63	बबरईया (भाजा छपरा)	48
		64	बतरवलिया	51
		65	नोनिया	1
		66	रघुनाथपुर	2
		67	पंडितपुर	3
		68	लगुनिया	4
		69	लोकाहॉ	6
		70	इनारवरवॉ	7
		71	बनकट	8
		72	विशुनपुर (मटियरवा)	9
		73	वृती टोला (सरया)	10

ई०प्रायुक्त

पूर्वी चम्पारण		74	सरैया खास	11
		75	सरैया टोला सेनुआर	12
		76	मंगूराहा	13
		77	दुधियावॉ	14
		78	एकडेरवा	15
		79	अहिरवलिया (सोनवल)	16
		80	सोनवल सरैया	17
		81	सरैया टोला मठिया	18
		82	खैरा चौबे	19
		83	खैरवा	20
		84	रकवा मंझरिया	21
		85	सारंगी छाप	22
		86	बलुआ वृति टोला (लक्षिरमा)	23
		87	रेखा सरैया	24
		88	टोक भरवलिया	25
		89	भरवलिया	26
		90	मझरिया	27
		91	तेजपुरवा	32
		92	सोनवल	33
		93	नौवाडीह	39
	हरसिद्धी	94	जगदीशपुर	49
		95	लक्ष्मनवा	146
		96	कृतपुर	52
		97	कृतपुर टोला इंगलिश	53
		98	गड्डूपुर	54
		99	माधोपुर	55
		100	कृतपुर बन्दोवस्ती मठिया	56
		101	चररहिया	106
		102	खोरी पाकर	107
		103	हसुॅआहा	140
		104	बगहा	112
		105	रामनगर	143
		106	विशुनपुर ननकार	144
		107	जागापाकड़	142
		108	पैठानपट्टी	145
	रामगढ़वा	109	फुलवरिया	50

ई.खा.युक्त
बिहार, पटना।